

PAG 818
11/8/19

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

क्रमांक प-1(317) कार्मिक/क-3/2007

जयपुर, दिनांक

9 11 2019

SS3

आदेश

डॉ. सुनिता जैन, चिकित्सा अधिकारी, (स्त्री रोग विशेषज्ञ), राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित कर इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 03.03.2010 द्वारा डॉ. जैन की दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ सचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध डॉ. सुनिता जैन ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट सख्या 1761/2011 (अन्तर्गत एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सख्या 9088/2011) दायर की गयी। उक्त अपील रिट में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2018 द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया है -

We agree with the appellant that it is a case of no evidence. The appeal is allowed. Impugned order dated 20-07-2011 is set aside. Writ petition filed by the appellant is allowed. Penalty of withholding two annual grade increments with cumulative effect is set aside. Consequences shall follow. Since the penalty has been given effect to, the salary of the appellant shall be refixed ignoring the penalty. Arrears shall be paid within six Weeks".

तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2018 के विरुद्ध प्री-लिटिगेशन रामिति की बैठक दिनांक 18.12.2018 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2018 के विरुद्ध सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2018 की पालना में राज्य सरकार प्रस्तुत प्रकरण में डॉ. सुनिता जैन, चिकित्सा अधिकारी, (स्त्री रोग विशेषज्ञ), राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ के विरुद्ध जारी समसख्यक दण्डादेश दिनांक 03.03.2010 को अपास्त किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एव सूचनार्थ प्रेषित है -

- 01 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।
- 02 संयुक्त विधि परामर्शी, कार्मिक (क-3/वादकरण) विभाग को डी.बी. सिविल स्पेशल रिट अपील सख्या 1761/2011 (अन्तर्गत एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सख्या 9088/2011) के क्रम में प्रेषित है।
- 03 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 04 निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ, राज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।
- 05 अनुभागाधिकारी, कार्मिक(क-1/ग्रो प्र) विभाग। (जन्म तिथि 19.08.1966)
- 06 अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10(275)2007
- 07 डॉ. सुनिता जैन, चिकित्सा अधिकारी, (स्त्री रोग विशेषज्ञ)

द्वारा:-शासन उप सचिव,

चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

- 08 रक्षित पत्रावली।

(विजय सिंह)
अनुभागाधिकारी

For NIP
22/2/19

SC
22/2/19

10/11
10/11
10/11
10/11

10.

373

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- सीबी/सीएस/एस-373/2019/542

दिनांक . 4/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाच) विभाग, राज0. जयपुर के आदेश क्रमांक पं. 1(317)का/क-3/शिका/2007 दिनांक 09/01/2019 के क्रम में।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज जयपुर।
- 3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर।
- 4 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ (चूरु) को भेजकर लेख है कि डॉ0 सुनिता जैन, चिकित्सा अधिकारी, (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ (चूरु) को आदेश तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावे।
- 5 डॉ0 सुनिता जैन, चिकित्सा अधिकारी, (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
- 6 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

Amal
अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।